2205/XLI-1/17

पत्र संख्याः 342 / xxvii(138) / 2017

1998

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
तकनीकी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त आडिट प्रकोष्ठ देहरादूनः दिनांकः 29 नवम्बर, 2017

विषयः—जी0बी0पंत, इंजी0 कॉलेज, घुडदौडी, पौडी वर्ष की 2012 से 16 तक विशेष सम्परीक्षा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय जी0बी0पंत, इंजी0 कॉलेज, घुडदौडी, पौडी वर्ष की 2012 से 16 तक विशेष सम्परीक्षा में शासकीय क्षति अनियमित भुगतान, अपरिहार्य व्यय, विभिन्न अभिलेखों का अनुरक्षण न किया जाना इत्यादि प्रकरण परिलक्षित हुए हैं। इस क्रम में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।

1. स्वीकृत बजट के विरूद्व रू0 134.17 लाख का अनानुमोदित व्यय किया जाना।
2. रू0 39.58 अग्रिमों का असमायोजित रहना।
3. कॉलेज के छात्रों के साथ भ्रमण पर जाने से रू. 46437.00 का अनियमित भुगतान किया जाना।
4. त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण कर श्रीमती रशिम नेगी (वैय0सहा0) को अधिक भुगतान रू0 1,20,601.00 किया जाना।
5. एस0के0 डिमरी व गुमान सिंह बिष्ट को शासनादेश के विरूद्व कम्प्यूटर भत्ता क्रमशः रू0 16200व 16200 कुल रू0 32400.00 का अनियमित भुगतान किया जाना।
6. अलकनन्दा गर्ल्स छात्रावास से सम्बन्धित अभिलेख (लेजर, कैशबुक व व्यय प्रमाणक) अप्राप्त होने से कुल व्यय धनराशि रू0 4645823.00 अपुष्ट रहा।
7. कन्सलटेंसी द्वारा कॉलेज को प्राप्त कुल आय रू. 1,02,32,486.00 पर मानक अनुसार सर्विस टैक्स जमा न किया जाना अनियमित रहा।
8. कॉलेज द्वारा कर्मचारियों की पदोन्नतियां नियमानुसार न कर अनियमित ढंग से किया जाना।

इस सम्बन्ध में उक्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर कार्यालय ज्ञाप संख्याः 159 / xxvii(26) / 2016 दिनांकः 10 अक्टूबर, 2016 एवं 58 / xxvii(11) / 2016 दिनांकः 10 जून, 2016 के अनुसार आडिट कमेटी की बैठकें प्राथमिकता पर आहूत करते हुये लेखा परीक्षा रिपोर्ट की परिपालन आख्या कार्यवृत्त सहित निदेशालय लेखा परीक्षा एवं वित्त आडिट प्रकोष्ठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।

संख्या– / xxvii (138) / 2017 तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, लेखा परीक्षा, आयुक्त कर भवन, रिंग रोड़, देहरादून।
2. प्राचार्य, जी0बी0पंत, इंजी0 कॉलेज, घुडदौडी, पौडी।
3. वित्त अधिकारी, जी0बी0पंत, इंजी0 कॉलेज, घुडदौडी, पौडी।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।

ऑडिटी का नाम– गोविन्द बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी, (पौड़ी गढ़वाल)

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष–2012–13स 2015–16 तक

अनुच्छेद– 1 (ख)

लेखा परीक्षा टीम/लेखा परीक्षा पार्टी का विवरण

दि0 1.04.2012 से 31.03.2016 तक की अवधि	
हेतु चयनित लेखा परीक्षा	निदेशक, लेखा परीक्षा देहरादून।
लेखा परीक्षा प्रमुख	श्री विपिन विहारी लाल, उप निदेशक।
पर्यवेक्षक अधिकारी	अशोक कुमार, सहा0 ले0प0अधिकारी।
टीम लीडर	टीकम सिंह, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक।
टीम सदस्य	

अनुच्छे–1 (ग)

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का प्रसार

प्रशासकीय विभाग	प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
विभागाध्यक्ष	प्राचार्य, गोविन्द बल्लभ पंत इंजी0 कॉलेज, घुड़दौड़ी ।
कार्यालयाध्यक्ष/ऑडिटी का नाम	प्राचार्य, गोविन्द बल्लभ पंत इंजी0 कॉलेज, घुड़दौड़ी ।
निदेशक लेखा परीक्षा (ऑडिट)	देहरादून

विभागीय - क्र० 08/2016-17 पार्टी सं० - 29

श्रेणी 'ग'

पर्य० अधि० - श्री विपिन बिहारी लाल, उप निदेशक

श्री अमित व० सहायक

05/09/17

1

अनुच्छेद–2

लेखा परीक्ष कार्य प्रणाली/दृष्टिकोण (मुख्य विश्लेषण बिन्दु)

लेखा परीक्षा विभाग का विस्तृत विवरण

1–विभाग का नाम–	गोविन्द बल्लभ पंत इंजी0 कॉलेज घुड़दौड़ी पौड़ी गढ़वाल।
2– ऑडिटी का नाम	1. डा0 ए0के0 स्वामी (5.05.11 से 4.1.16 तक) 2. डा0 वाई0 सिंह (5.1.16 से 16.5.16) 3. जिलाधिकारी पौड़ी (17.05.16 से 14.07.2016 तक) 4. डा0 वाई0 सिंह0 (15.7.16 से 25.8.16) 5. डा0 एस0पी0 पाण्डेय (26.08.16 से वर्तमान तक)
3– लेखा परीक्षा अवधि–	2012–13 से 2015–16 तक
4– लेखा परीक्षा तिथि–	5.09.2016 से 26.10.2016 तक
5–लेखा परीक्षा कार्यक्रम–	निदेशक लेखा परीक्षा (ऑडिट) के पत्रांक 116/262/2016 दिनांक 22.4.2016 वार्षिक लेखा परीक्षा योजना/2016–17 के अनुसार।

बजट– 1 कुल प्रावधान की तुलना में कुल व्यय का प्रतिशत (धनराशि लाख में)

(अंतिम दो वर्षो के आंकड़े)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय राशि	प्रतिशत
2014–15	1161.45	811.44	69.86
2015–16	1361.86	1181.86	86.78

2. अनुपूरक बजट का उपयोजना किया गया अथवा नहीं– कोई नहीं।
3. कुल प्रावधान के सापेक्ष समर्पित राशि– कोई नहीं
4. पुनर्विनियोग का विवरण ओर उस पर टिप्पणियां – कोई नहीं।
5. राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित राशि और इसका उपयोग/निष्क्रिय–कोई नहीं।
6. यदि वेतन व भत्तों हेतु प्रावधान वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया गया– हाँ।

निदेशालय, लेखा परीक्षा (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।

अनुच्छेद–3

संस्था का नाम:– गोविन्द बल्लभ पन्त इन्जीनियरिंग कालेज, घुड़दौड़ी (पौड़ी गढ़वाल)।

अवधि:– वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक

मुख्य लेखा परीक्षा टिप्पणियां:–

प्रस्तर (1)

बजट सम्बन्धित अनियमितता:– स्वीकृत बजट के विरूद्ध रू0 134.17 लाख का अनानुमोदित व्यय किया जाना–

आलोच्य अवधि में कालेज द्वारा निम्न विवरणानुसार स्वीकृत बजट से रू0 134.17 लाख का अधिक व्यय करके अनानुमोदित व्यय किया गया था। बिना अनुमोदित के अधिक व्यय किया जाना आपत्तिजनक रहा। अनानुमोदित व्यय को वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

क0 स0	मद का नाम	वर्ष	वित्त समि0 द्वारा अनुमादित व्यय	संस्था द्वारा किया गया व्यय	अधिक अनानुमोदित व्यय
1	POL/वेहकल मेन्टीनेंस	2012–13	698000=00	828888=00	130888=00
2	विधुत व्यय	2012–13	4768000=00	5020122=00	252122=00
3	मेडिकल व्यय	2012–13	383000=00	420227=00	37227=00
4	सिविल मेन्टी0	2012–13	4664000=00	4830496=00	166496=00
5	स्पोर्ट/क0Activities	2012–13	483000=00	727356=00	244356=00
6	स्टूडेन्ट कल्याण	2012–13	105000=00	209456=00	104456=00
7	प्रषिक्षण/प्लेसमेंट	2012–13	299000=00	456934=00	157934=00
8	मेंन्टी ऑफ हार्डवेयर/	2012–13	50000=00	61001=00	11001=00
9	सुरक्षा व्यय	2012–13	6575000=00	6797463=00	222463=00
10	आपरेसनल और मेंन्टी स्टाफ	2012–13	5924000=00	6307694=00	383694=00
11	कार्यालय व्यय	2013–14	620000=00	680689=00	60689=00
12	विद्युत व्यय	2013–14	5000000=00	6305355=00	1305355=00
13	मानदेय व्यय	2013–14	200000=00	294400=00	94400=00
14	विज्ञापन व्यय	2013–14	1215000=00	1358384=00	143384=00
15	मेरिट छात्रवृति	2013–14	300000=00	1052000=00	252000=00
16	पुस्तकालय व्यय	2013–14	570000=00	1033725=00	463725=00
17	लीगल व्यय	2013–14	290000=00	294785=00	4785=00
18	सुरक्षा व्यय	2013–14	7265000=00	8479586=00	1214586=00
19	कॅपस क्लीनिंग	2013–14	3000000=00	3345712=00	345712=00
20	आपरेसनल और मेंन्टीनेंस स्टाफ	2013–14	3850000=00	7309602=00	3459602=00
21	परीक्षा व्यय	2013–14	शून्य	3157853=00	3157853=00
22	विज्ञापन व्यय	2015–16	1050000.00	2128391=00	1078391=00
23	विद्युत व्यय	2015–16	4400000=00	565915=00	125915=00
				योग–	13417034=00

f

गोविन्द बल्लभ पंत इन्स्ट्टीयूट ऑफ इंजीनियरिग एण्ड टेक्नालॉजी, घुड़दौड़ी, पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)
सम्परीक्षा अवधि (वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2015–16)
सम्परीक्षा अवधि के दौरान सम्परीक्षा दल द्वारा प्रकट आपत्तियों की सम्परीक्षा दल के समक्ष प्रस्तुत अनुपालन/प्रतिउत्तर आख्या।

क.स.	अनुच्छेद–3	आपत्ति संख्या	आपत्ति विवरण	विभाग का उत्तर/अनुपालन आख्या	उत्तर/अनुपालन से सम्बन्धित साक्ष्य (यदि कोई)	
1	प्रस्तर–1		बजट सम्बन्धी अनियमितता स्वीकृत बजट के विरूद्ध रू. 134.17 लाख का अनुमोदित व्यय किया जाना	अति आवश्यक व्यय होने के कारण व्ययाधिक्य हुआ है। क्योंकि बिजली,पानी, वाहन के लिये ईंधन,सुरक्षा,कैम्पस सफाई एंव परीक्षा आदि अति आवश्यक प्रकृत्ति के व्यय थे, अन्यथा कार्य रूक सकता था, इस प्रकार के व्यय अति आवश्यक प्रकृति के हैं। तथा अधिक व्यय को समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। अतः उक्त के कम में आपत्ति को निरस्त करने का कष्ट करें।		
	प्रस्तर–2		केन्द्रीय भण्डार पंजिका की वार्षिक लेखा बन्दी न किया जाना	भविष्य के लिये नोट कर लिया गया है।		
	प्रस्तर–3		रू. 39.58 लाख अग्रिमों का असमायोजित रहना	समस्त अग्रिमों का समायोजन 2017–18 वर्षान्त में कर लिया गया है।		
	प्रस्तर–4		उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली 2006 एंव तद्सम्बन्धित शासनादेश संख्या–880/XXVII(1) 2008 दिनांक 24.11.2008 के अनुसार जी.पी.एफ. लेखों में आवश्यक प्रविष्टियां सत्यापित न किया जाना अनियमित	आपत्ति का अनुपालन करा दिया जायेगा एंव भविष्य के लिये नोट कर लिया गया है।		
	प्रस्तर–5		अभिलेखानुसार संस्था लेखाओं की वित्तीय स्थिति	1.रोकड़ बही हेतु टी.ई.क्यू.आई.पी.सेल को निर्देशित कर दिया गया है। 2.समाधान/मिलानकर आगामी ऑडिट में अवगत करा दिया जायेगा।		

VM Thakkar

				3.रोकड़ बही सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित हैं 4.तद्नुसार लेखा बंदी कर दी गई है, एंव भविष्य के लिये नोट कर लिया गया है।		
	प्रस्तर–6		स्वीकृत अस्थाई अग्रिम की वसूली न किया जाना	तद्नुसार कार्यवाही कर ली गई है जिसे आगामी सम्परीक्षा में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।		
	प्रस्तर–7		कालेज से सम्बन्धित छात्रावासों की जॉच के सम्बन्ध में	छात्रावास से सम्बन्धित आपत्तियों का परिपालन कर आगामी सम्परीक्षा में प्रस्तुत कर जायेगा।		
	प्रस्तर–9		जमानत राशि रू. 9104710.00 खाते में अवरूद्ध रहना	कुल अवशेष में से रू. 70 लाख की धनराशि को निष्प्रयोज्य न करके सावधि जमा (एफ.डी.) निवेश किया गया है। जिसकी पुष्टि वित्तीय स्थिति में कराई गई है। शेष राशि मांग हेतु चालू खाते में रखी गई है।		
	प्रस्तर–10		श्री एस.के.डिमरी, के अग्रिमों के समायोजन सम्बन्धी	आपत्ति के कम में सम्बन्धित कर्मचारी का अग्रिम समायोजन कर लिया गया है। जिसे आगामी सम्परीक्षा में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।		
	प्रस्तर–11		बिल पर कटिंग एंव बिल पर प्रिन्टेड टिन नं. अंकित न किया जाना	भविष्य के लिये नोट कर लिया गया है।		
	प्रस्तर –12		त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में।	श्रीमती रश्मि नेगी,वै.सहा.,श्री विनोद कुमार, श्री दिनेश सिंह एंव श्री कुलदीप कोटनाला, तक.सहायक उक्त सभी प्रकरणों का सम्परीक्षा प्रकट आपत्ति के कम में परीक्षण कराते हुए नियमानुसार कार्यवाही गतिमान है।	साक्ष्य संलग्न	
	प्रस्तर–13		श्री अमरेश कुमार, एम.जी.ए की प्रोन्नति के सम्बन्ध में	श्री अमरेश कुमार की वर्ष 1998 से पदोन्नति मानते हुए वर्ष 1998 से काल्पनिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करते हुए वास्तविक भुगतान वर्ष 2010 आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।	साक्ष्य संलग्न	
	प्रस्तर–14		(क) एक ही संस्था में कार्यरत पति /पत्नी को शासनादेश के विरूद्ध	(क) वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड II (भाग 2 से 4) के संख्या	साक्ष्य संलग्न	

VM Chhibber

			एच.आर.ए. दिये जाने के सम्बन्ध में	1/2015/जी–1–01/दस–2015–226/2008 दिनांक 11 फरवरी 2015 के अनुसार दोनों पति–पत्नी को एच.आर.ए.दिया जा रहा है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।		
			(ख)शासनादेश के विरूद्ध कम्प्यूटर भत्ते का अनियमित भुगतान	(ख)आडिट आपत्ति के कम में अनुपालन करते हुए माह अक्टूबर 2016 के वेतन से बंद कर दिया गया है।		
	प्रस्तर–15		(क) अधिप्राप्ति सम्बन्धी अनियमितता (ख) लेखन सामग्री कय के सम्बन्ध	(क) भविष्य के लिये नोट कर लिया गया है। (ख) भविष्य के लिये नोट कर लिया गया है।		
	प्रस्तर–16		स्वीकृत बजट मद विज्ञापन व्यवस्था मे वर्षवार व्यय किया जाना	भविष्य के लिये नोट कर लिया गया है।		
	प्रस्तर–17		यात्रा भत्ता देयकों से सम्बन्धी प्रकरण	तद्नुसार कार्यवाही गतिमान है, एंव भविष्य के लिये नोट कर लिया गया है।		
	प्रस्तर–18		पुस्तकालय में अनुमोदित बजट के सापेक्ष अधिक व्यय किया जाना	अनुमोदित बजट के सापेक्ष व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। भविष्य के लिये नोट कर लिया गया है।		
	प्रस्तर–19		कालेज में कान्ट्रेक्ट बेस पर कार्यरत प्रवक्ताओं को निर्धारित मानदेय के सम्बन्ध में	कालेज में अनुबन्धित शिक्षकों के वेतन से सम्बन्धित प्रकरण पर शासन से पत्राचार गतिमान है।	साक्ष्य संलग्न	
	प्रस्तर–20		वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण के सम्बन्ध में	प्रकरण शासन स्तर पर गतिमान है ।		
	प्रस्तर–21		कालेज को कन्सलटेन्सी द्वारा प्राप्त आय से सर्विस टैक्स जमा न किया जाना	आलोच्य अवधि में संस्थान को PAN संख्या उपलब्ध नहीं हो पायी थी, पैन नम्बर सर्विस टैक्स के लिए आवश्यक होता है, इसलिए सर्विस टैक्स में पंजीकरण नहीं हो पाया था। बाद में पेन संख्या आवंटित हुई, परन्तु जुलाई 2018 से वस्तु एंव सेवा कर लागू हो गया है। GSTN में संस्थान का पंजीकरण माह अगस्त 2017 में हो चुका है। क्योंकि धनरशि सर्विस टैक्स की है, एंव सर्विस टैक्स		

M.Thakur

				वस्तु एंव सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत परिवर्तित हो चुका है इसलिए सर्विस टैक्स के सम्बन्ध में कठिनाई आ रही है। इस हेतु चार्टड एकाउन्टेट से कार्यवाही/सलाह ली जा रही है। धनराशि सर्विस टैक्स/GST जिसके अन्तर्गत भी धनराशि जमा हो पायेगी को तदुपरान्त प्रमाणक सहित अवगत कराया जायेगा।		
	प्रस्तर–22		कर्मचारियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में।	वर्ष 2010 में की गई पदोन्नति पर आपत्ति के सम्बन्ध में संस्थान की प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 03.04.2011 को सम्पन्न हुई बैठक के बिन्दु सं. 3.12 में समिति द्वारा पदोन्नति अनुमोदित है जिसे संस्थान की प्रशासकीय परिषद की बैठक दिनांक 07.12.2011 में अनुमोदन प्रदान किया गया है।	साक्ष्य संलग्न	

V.M. Thakkar

वी.एम.ठक्कर
सदस्य

एच.एस.भदौरिया
कुलसचिव

अनुच्छेद–5

लेखा परीक्षा संस्तुतिः– अभिलेखनीय जाँच एवं संस्था के अवलोकनार्थ निम्न कमियां थी जिनकी पूर्ति किये जाने हेतु निम्न संस्तुति की जाती है:–

1. कॉलेज में आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली का गठन किया जाय।
2. अधिप्राप्ति नियमावली–2008 का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
3. आउटसोर्सिंग से 70 पद भरे गये थे जो अत्यधिक प्रतीत हो रहा था मैं कटौती करते हुये बजट की राशि को छात्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाय।
4. कॉलेज परिसर मुख्यालय, पौड़ी जिला चिकित्सालय से 13 कि0मी0 दूर है कॉलेज में डिस्पेन्सरी तो है परनतु कोई डॉक्टर नहीं है जिससे विद्यार्थियों की तबियत खराब होने पर एम्बुलेन्स द्वारा जिला चिकित्सालय जाना पड़ता है। डॉक्टर की नियुक्ति किये जाने हेतु सार्थक प्रयास किया जाय।
5. उत्तराखण्ड में प्रशिक्षण केन्द्र नहीं होने के कारण शिक्षकों को किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा था। जिससे नवीनतम् अनुप्रयोगों से सम्यक होते रहे इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय।
6. लगभग 1800 छात्र/छात्राओं के शारीरिक एवं खेलों हेतु मात्र एक प्रशिक्षक वर्ष 1996 से कार्यरत् है जिसका लाभ सम्पूर्ण छात्रों को नहीं मिल पा रहा है इस ओर भी ध्यान दिया जाय।
7. कॉलेज में लेखाकार के स्वीकृत 2 पद के सापेक्ष 1 ही पद भरा गया है। जबकि कैशियर के पद को मृत घोषित किया गया है। और लेखाकार के पद को पदोन्नति से भरा जाना था। जिसे लेखा परीक्षा तिथि तक भी पदोन्नति से भरा नहीं गया है। जिसके कारण कालेज का लेखा समबन्धी कार्य प्रभावित हो रहा है। विवरण सलग्न है। **अनुसलग्नक–ए**
8. केन्द्रीय भण्डार पंजीका की वार्षिक लेखा बन्दी नहीं की जा रही थी तथा भण्डार पंजीका के शेष को बची भण्डार पंजीका में दर्ज नही किया जा रहा था जिस कारण संस्था में स्टॉक की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी डेड स्टॉक पंजीका का भी रख–रखाव नहीं किया जा रहा था। निष्प्रयोज्य भण्डार के निपटाने हेतु कॉलेज प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी भण्डार पंजीका का नियमित वार्षिक सत्यापन नही किया जा रहा था संस्था द्वारा परिसम्पत्ति पंजीका/भूमि भवन/फण्ड़ पंजीका का रख–रखाव नहीं किया गया जा रहा था। स्टोर एवं स्टॉक रजिस्टर में पूर्ण इन्तजामात न होने के कारण उनका आगणन नहीं किया जा सका इस ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

(टीकम सिंह)
ज्येष्ठ लेखा परीक्षक
उत्तरकाशी

(अशोक कुमार सिंह)
सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी
टिहरी